

FORM No. III

Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्टर. मुकाम...खीवसर...

दिनेश बनाम मनीष

किरम मुकदमा...राजस्व वाद स्थाई निषेधाज्ञा बाबत।

मु. नं... (57) - सन्. 2018

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज 20.03.2018	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
------	---	--

वादी ने जरीये वकील प्रतिवादीगण के विरुद्ध राजस्व वाद स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वाद के तहत प्रस्तुत किया। जो दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस से वास्ते जबाबदेही बाबत तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 24.04.2018 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
खीवसर

16/04

उक्त प्रकरण आज राजस्व लाक
आपक द्वारा, कम्प कोर्ट ग्राम पंचायत
में पेश हुआ। उपस्थित पक्षकारानों के प्रकरण में
राजीनामा करने हेतु समझाया गया।
पक्षकारों के मध्य प्रकरण में राजीनामा हेतु
महमति नहीं हो पाई अतः प्रकरण न्यायलक्ष्य
दिनांक 23/05/18 को पेश हो

अध्यक्ष
आक अदालत
खीवसर

23/05/18

उक्त प्रकरण आज राजस्व लाक
आपक द्वारा, कम्प कोर्ट ग्राम पंचायत
में पेश हुआ। उपस्थित पक्षकारानों के प्रकरण में
राजीनामा करने हेतु समझाया गया।
पक्षकारों के मध्य प्रकरण में राजीनामा हेतु
महमति नहीं हो पाई अतः प्रकरण न्यायलक्ष्य
दिनांक 23/05/18 को पेश हो

श्री. जसवीर अधिकारी
आपक द्वारा
कम्प कोर्ट नातपंच

21.8-18

उक्त प्रकरण आज राजस्व लाक
आपक द्वारा, कम्प कोर्ट ग्राम पंचायत
में पेश हुआ। उपस्थित पक्षकारानों के प्रकरण में
राजीनामा करने हेतु समझाया गया।
पक्षकारों के मध्य प्रकरण में राजीनामा हेतु
महमति नहीं हो पाई अतः प्रकरण न्यायलक्ष्य
दिनांक 21/08/18 को पेश हो

सहायक कलक्टर
(SDO), खीवसर

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

2/10

सकत प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत में
शर्मा के संग अधिवक्ता-2021, केस के अंतर्गत
पत्रावली प्रेषित की गई। उपस्थित
अधिकांश को प्रकरण में शर्मा नाम करने हेतु समझाया
गया। पत्रावली के मध्य प्रकरण में शर्मा नामांकन सहमति
नहीं हो पाई। अतः प्रकरण पुनः न्यायालय में
दिनांक 8/2/22 को प्रेषित है।

पीठासीन अधिकारी
प्र.आ.के.अ. 2021
उप-डा.एड. अधिकारी
खीवसर

0/2/22
अधिवक्ता के आदेशकर्ता

पीठासीन अधिकारी की मीटिंग में अधिवक्ता/भ्रमण/मै/स्थानान्तरण हो चुका है/अधिकांश पर गये हुए है। पत्रावली आगामी दिनांक 0/3/22 को प्रेषित है।

9/3/22 पत्रावली प्रेषित हुई।
पीठासीन अधिकारी की मीटिंग में/
भ्रमण/मै/स्थानान्तरण हो चुका है/
अधिकांश पर गये हुए है। पत्रावली आगामी
दिनांक 15/6/22 को प्रेषित है।

15/6/22 पत्रावली प्रेषित हुई।
पीठासीन अधिकारी की मीटिंग में/
भ्रमण/मै/स्थानान्तरण हो चुका है/
अधिकांश पर गये हुए है। पत्रावली आगामी
दिनांक 28/8/22 को प्रेषित है।

28/9/22 पत्रावली प्रेषित हुई।
पीठासीन अधिकारी की मीटिंग में/
भ्रमण/मै/स्थानान्तरण हो चुका है/
अधिकांश पर गये हुए है। पत्रावली आगामी
दिनांक 7/12/22 को प्रेषित है।

7/12/22

पत्रावली प्रेषित हुई। वहीलवादी को
आमतौर में बार-बार शवाहद दिलवायी
गयी, मगर गैर हाजिर। बार-बार
शवाहद दिलवाने के उपरांत भी वहीलवादी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख
में जारी हुए

के आमतौर में उपस्थित नहीं केते, के
शरण उनके विरुद्ध एक पत्रावली आगामी
में लाम्बी जाकर उक्त पत्रावली को अधिसूचना
पत्रिका - अदालत हाजरी में संबन्धित किया गया
है। वही के निवेदन पर वहीलवादी पत्रावली को
Responce / Respon किया जा सकता है।

पत्रावली प्रेषित सुमार देकर, मगर
उक्त केस गैर हाजिर जाकर शवाहद दिलवा
ये।

सहायक कलक्टर
(SDO), खीवसर